

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष- 91-0755-2583650 फेक्स- 91-0755-2583651

ई-मेल dpimp@sancharnet.in

भोपाल, दिनांक 12/12/09

क्रमांक/स्था-2/अ-2/27/2009/1587

... आदेश ...

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-2/अ/पदो./05/2009/884-885 दिनांक 01.08.2009 द्वारा शिक्षक/प्र.अ. माध्यमिक विद्यालय पद से व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति की जाकर कॉलम क्रमांक 06 अनुसार पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। पदोन्नति आदेश के पालन में निर्धारित दिनांक 08 अगस्त 2009 तक पदोन्नत व्याख्याताओं को पदांकित संस्था में अपनी उपस्थिति व्याख्याता पद पर देनी थी। जिसके परिपालन में निम्नलिखित लोकसेवक द्वारा पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण कर पदोन्नति निरस्त किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर विचारोपरांत निम्नलिखित पदोन्नत व्याख्याता की पदोन्नति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर पूर्व संस्था में यथावत पदस्थ रखा जाता है:-

स.क्र	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत शिक्षक का नाम, पद एवं कार्यस्थ संस्था	जाति	विषय	पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था
1	2	3	4	5	6
1	259	श्री देवेन्द्र कुमार बांगर, उ.श्रे. शिक्षक शा.उ.मा.वि. भागीरथपुरा इंदौर	सामान्य	भूगोल	शा. उ.मा.वि. उत्कृष्ट शुजालपुरमण्डी शाजापुर

उपरोक्त लोक सेवकों की सेवा पुस्तिका में स्वेच्छा के आधार पर पदोन्नति परित्याग करने पर पदोन्नति निरस्तीकरण आदेश की विधिवत् प्रविष्टि की जाए। ऐसे लोक सेवक के पदोन्नति आदेश निरस्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पदोन्नति हेतु अगली रिक्ति उद्भूत होने तक नवीन पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। उच्च संवर्ग / सेवा के बाहर / पद के वेतनमान से परिणामिक पदोन्नति पर ऐसे लोक सेवक उच्च संवर्ग / सेवा के बाहर / पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नत किए गए उसकी कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जाएगा।

संचालक (प्रशासन)

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 12/12/09

पृ.क्रमांक/स्था-2/अ-2/27/2009/1588

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इंदौर/उज्जैन, मध्यप्रदेश।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित लोक सेवकों के भविष्य में निर्धारित एक वर्ष की समय सीमा अवधि के पश्चात जब भी पदोन्नति प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाएँ तो उन पदोन्नति प्रस्ताव में पूर्व पदोन्नति आदेश को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला इंदौर/शाजापुर, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य शा. उ.मा.वि. उत्कृष्ट शुजालपुरमण्डी शाजापुर/शा.उ.मा.वि. भागीरथपुरा इंदौर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
7. संबंधित जन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, शाजापुर।

संचालक (प्रशासन)
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21/12/09


क्रमांक/स्था.2/अ/संशोधन/32/2009/1607
/आदेश/

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था.2/5/पदो./09/884-885, दिनांक 01.08.09 द्वारा निम्न लिखित शिक्षक की पदोन्नति शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर की जाकर विषयमान से रिक्त पद पर पदस्थापना कालम क्रमांक-4 में अंकित संस्था में की गई है। पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये निम्नांकित नव पदोन्नत लोक सेवक को कालम क्रमांक-5 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

स. क्र.	शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	विषय	व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	नवीन संशोधित पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	श्रीमती विजया नीम पिपलेकर प्र. अ. शास.सरदार पटेल कन्या मा. शाला सीहोर	हिन्दी 359	शा.उमावि जावर जिला सीहोर	शा.उत्कृष्ट उमावि क्रमांक-1 जिला सीहोर
2	श्रीमती आशा सोलंकी, प्र.अ. शा. उ.मा.वि. क्र.1 रीवा	हिन्दी 188	शा.बा.उ.मा.वि. मंनगवा जिला रीवा	शा.मार्तण्ड क्र.2 उ.मा.वि. जिला रीवा
3	श्री एस.सी.नेमा, प्र.अ. शा.माध्य. शाला गोटेगांव नरसिंहपुर	अर्थशास्त्र 28	शास.उमावि नूटल चिखली छिंदवाड़ा	शास. उत्कृष्ट उमावि गोटेगांव नरसिंहपुर
4	श्रीमती शकुनतला अहिरवार, प्र. अ. शास. माध्य शाला मझगंवा पन्ना	संस्कृत 503	शास.बालक उमावि बड़ा मलहरा जिला छतरपुर	शास.उत्कृष्ट उमावि आर.पी.क्रमांक-1 जिला पन्ना
5	श्री प्रेम नारायण वर्मा प्र.अ.0 शा.0मा.0शा.0 सलकनी ओबेदुल्लागंज रायसेन	अर्थशास्त्र	शा.उ.मा.वि. निशातपुरा भोपाल	शा.क.उ.मा.वि. ओबेदुल्लागंज रायसेन
6	श्री जयनारायण दुबे प्र.अ. शा.पूर्व मा.शाला कैलाशपुर रीवा	भूगोल	शा.उमावि खोई जिला सतना	शा.उत्कृष्ट बा.उमावि हनुमना जिला रीवा
7	श्री हरीश कुमार गुप्ता प्र.अ. शा. उत्कृष्ट उमावि जीरापुर जिला राजगढ़	हिन्दी	शास.उमावि बनखेड़ी जिला होशंगाबाद	शा.उत्कृष्ट उमावि जीरापुर जिला राजगढ़
8	श्री अर्जुन सिंह तोमर प्र.अ. शा. मा.शाला सिंगलबस्ती जिला मुरैना	राजनीति	शास.बालक उमावि अशोकनगर जिला अशोकनगर	शा.उत्कृ.उ.मा.वि. क्र.-1 मुरैना
9	श्रीमति उषा श्रीवास्तव, शिक्षक, शा.क.उमा.वि.होशंगाबाद	इतिहास	शा.क.उ.मा.वि.सिवनी मालवा, होशंगाबाद	शा.क.उ.मा.वि.होशंगाबाद
10	श्री विद्या शर्मा, प्र.अ. शा.मा.शा. हबीबगंज भोपाल	हिन्दी	शा.क.उ.मा.वि. बैरसिया भोपाल	शा.उ.मा.वि. मॉडल शाहजहानाबाद भोपाल

- उपरोक्त संशोधित पदस्थापना स्वीच्छक एवं स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा, भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
- मूल पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

//2//

पृष्ठां. क्रमांक/स्था.2/अ/संशोधन/32/2009/1608
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21/12/09

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा एवं ग्वालियर म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी सीहोर, रीवा छिंदवाडा, छतरपुर, भोपाल, सतना, होशंगाबाद एवं अशोकनगर म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीहोर, रीवा छिंदवाडा, छतरपुर, भोपाल, सतना, होशंगाबाद एवं अशोकनगर म.प्र.।
7. संबंधित प्राचार्यो।
8. संबंधित
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।



आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष- 0755-2583650 फेक्स- 0755-2583651, ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-2/अ-2/30/2009/1609

भोपाल, दिनांक 21/12/09

// संशोधन आदेश //

कार्यालयीन आदेश क्रमांक स्था-2/अ/पदो./05/2009/884-885 दिनांक 01.08.2009 के स.क. 287 द्वारा श्री शंकर सहाय गुप्ता प्र.अ. शा.मा.वि.क.-03 दतिया की पदोन्नति व्याख्याता (इतिहास) के पद पर की जाकर पदांकन शा.उ.मा.वि.महागढ़ जिला-नीमच की गई थी। श्री गुप्ता द्वारा उक्त पदस्थापना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिका प्रस्तुत की जिस पर पारित निर्णय डब्ल्यू.पी. 3460/2009 (एस) दिनांक 10.08.09 के अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा श्री गुप्ता को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनिवार्यतः कार्यमुक्त नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए जिसके परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक स्था-2/अ-2/30/09/1277-1278 दिनांक 07.10.2009 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी दतिया को आगामी आदेश तक श्री गुप्ता को पदांकन स्थल हेतु अनिवार्यतः कार्यमुक्त न किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा श्री गुप्ता से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में उनके प्रकरण का निराकरण भी किए जाने के निर्देश दिए गए, तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी दतिया से प्राप्त प्रस्ताव एवं एकल नस्ती क्रमांक 165/09 दिनांक 05.12.2009 द्वारा प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में श्री गुप्ता की व्याख्याता इतिहास के पद पर की गई पदस्थापना में कॉलम क्रमांक 06 अनुसार संशोधन किया जाता है:-

स.क.	लोक सेवक का नाम पद एवं कार्यरत संस्था	विषय	प्रवर्ग	पदोन्नति पश्चात पदस्थापना	संशोधित पदस्थापना	पदांकित संस्था का डाइस कोड
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री शंकर सहाय गुप्ता, प्र.अ. शा.मा.वि.क.-03 दतिया	इतिहास	सामान्य	शा.उ.मा.वि. महागढ़ जिला-नीमच	शा.उ.मा.वि.क. 02 जिला-दतिया	23050177702

1. पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगीं।
2. पदोन्नत व्याख्याता संशोधित पदांकित संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः 24 दिसम्बर 2009 तक व्याख्याता पद पर देंगे।



आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


भोपाल, दिनांक 21/12/09

पु.क्रमांक/स्था-2/अ-2/30/2009/1610

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।

3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन/ग्वालियर मध्यप्रदेश।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला- दतिया को उनकी एकल नस्ती टीप दिनांक 13.10.09 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-नीमच मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य शा.उ.मा.वि.महागढ जिला-नीमच/ प्राचार्य शा.उ.मा.वि.क.02 जिला-दतिया।
7. संबंधित लोक सेवक श्री शंकर सहाय गुप्ता, प्र.अ. शा.मा.वि.क.-03 दतिया की ओर पालनार्थ प्रेषित।



आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश